राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)( )PMMVY/ICDS/2016-17/ 21702-22,038 जयपुर,दिनांक : 4/2/19

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः– प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु सामान्य में दिशा–निर्देश जारी गाईडलाईन में संशोधित दिशा–निर्देशों के संबंध में।

संदर्भः–विभागीय पत्र क्रमांक 193060–92 दिनांक 08.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन व दिशा–निर्देश दिए गए थे, उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार दूसरी व तीसरी किश्त का वहीं लाभार्थी दावा कर सकता है, जिसका ममता कार्ड में प्रसव पूर्व जांच व टीकाकरण का प्रमाणीकरण स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी द्वारा किया गया हो। उक्त के संबंध में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त का प्रमाणन स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसकी रैंक एएनएम से कम न हो, द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो अथवा गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा प्राधिकारी/कार्मिक द्वारा उपचार कार्ड/ पर्ची पर जारी रिपोर्ट से भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय किश्तों में गाईडलाईन में किए गए संशोधित दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

किश्त	वर्तमान दिशा–निर्देश	संशोधित दिशा–निर्देश
द्वितीय किश्त	एमसीपी कार्ड पर लाभार्थी की कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (Received at least one ANC) जो स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसकी रैंक एएनएम से कम न हो, द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो।	एमसीपी कार्ड पर लाभार्थी की कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (Received at least one ANC) जो स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसकी रैंक एएनएम से कम न हो, द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो अथवा गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा प्राधिकारी/कार्मिक द्वारा उपचार कार्ड/ पर्ची पर जारी एएनसी रिपोर्ट
तृतीय किश्त	इस बात का प्रमाण कि बच्चे ने बी.सी.जी., ओपीवी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्पेटाईटिस बी, पेन्टावेलेन्ट–1,2,3 या इसके समकक्ष/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है, एमसीपी कार्ड जो स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसकी रैंक एएनएम से कम न हो, द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो। (Child has received first cycle of BCG, OPV, and Pentavalent –1,2, 3 or its equivalent/ substitute)	इस बात का प्रमाण कि बच्चे ने बी.सी.जी., ओपीवी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्पेटाईटिस बी, पेन्टावेलेन्ट–1,2,3 या इसके समकक्ष/एवजी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है, एमसीपी कार्ड जो स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी जिसकी रैंक एएनएम से कम न हो, द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो अथवा गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा प्राधिकारी/कार्मिक द्वारा उपचार कार्ड/ पर्ची पर जारी रिपोर्ट (Child has received first cycle of BCG, OPV and Pentavalent –1,2, 3 or its equivalent/ substitute)

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)( )PMMVY/ICDS/2016-17/22039-42 जयपुर,दिनांक : 4/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)